

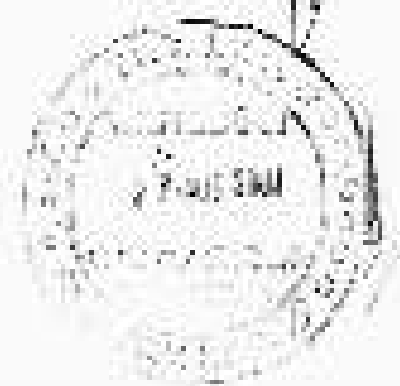
19380-

1158610-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300216



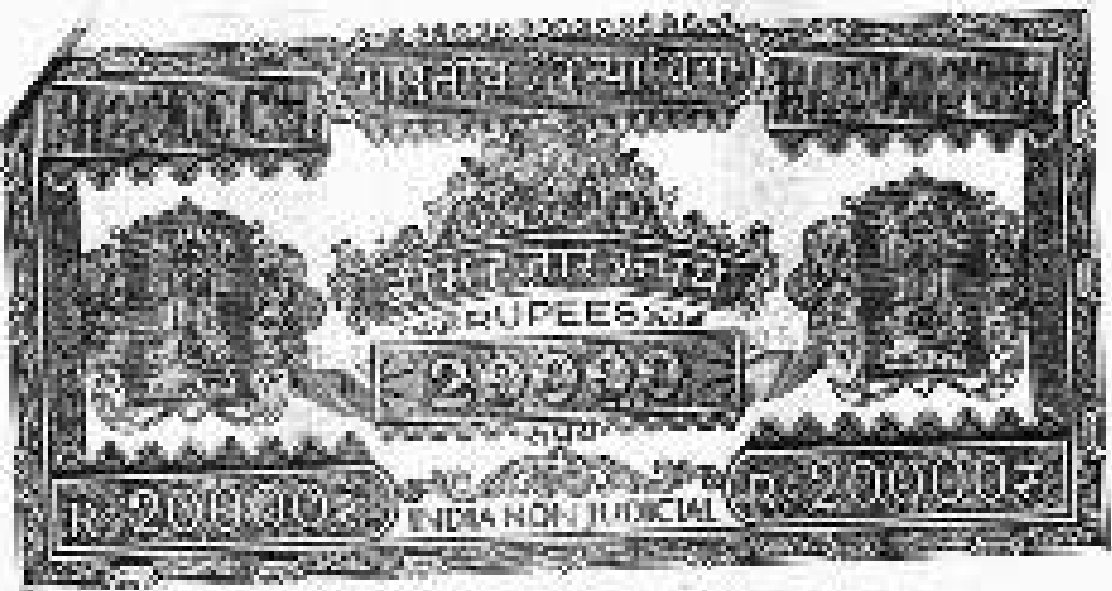
विवाद-पत्र

दीन दत्त का व्यक्तिगत विवरण

1.	पूर्ण नाम	दीन दत्त
2.	पता	जयपुर
3.	वय	अज्ञात
4.	अवधि का विवरण (अवधि में)	अवधि में 700
5.	पता की दूरी	1000
6.	विधि अवधि का विवरण	0.100 1000
7.	अवधि का विवरण	मुद्रांकित 100 से 200 मीटर के अंतर में दीन दत्त का विवरण है।
8.	दीन दत्त का विवरण	दीन दत्त का विवरण है।
9.	दीन दत्त का विवरण	दीन दत्त का विवरण है।
10.	दीन दत्त का विवरण	दीन दत्त का विवरण है।
11.	दीन दत्त का विवरण	दीन दत्त का विवरण है।
12.	दीन दत्त का विवरण	दीन दत्त का विवरण है।

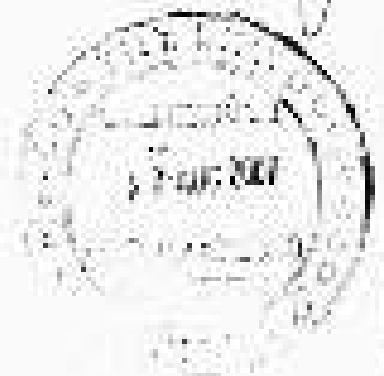
दीन दत्त

300216



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

800217



-2-

बीकानेर संसद संख्या-७४६

पुनः : संसद संख्या-७४६

परिचय : संसद संख्या-७४७

जलद : संसद संख्या-७४८

द्वितीय : संसद संख्या-७४९

अनेक

अनेक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300215



-3-

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

जिल्ला का विवरण	:	पक्ष का विवरण
जिलाटे पुज श्री सुखदे	:	पक्ष पुज श्री नाम, निवासी-
मिर्जापुर, जिला अहमदाबाद,	:	मिर्जापुर, मिर्जापुर, पोस्ट-
पटना, तहसील व जिला-	:	नयागढ़, जिला-मोहापुर, जिला-
सकलका	:	जयपुर - मुनि
जयपुर - मुनि	:	

300215

पि. वि. वि. वि.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300219



- 4 -

विक्रय विलेख

उक्त विलेख विलेख विद्यार्थी पुत्र श्री सुखई निवासी-ग्राम
अहमगऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ जिन्हें आगे
विशेषता कहा गया है, एवं गणेश पुत्र पिछी लाल, निवासी-
मिर्जापुर, मिर्जापुरी, पोस्ट- नवगांव, जिला-फतेहपुर, उप्र 200 जिन्हें
आगे सेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

जो कि विवेका मालिक, कर्मिल व कर्मिल आराजी कृषि भूमि लखनऊ

गणेश

...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

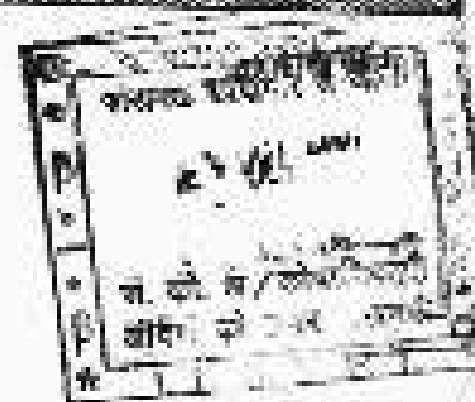
रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

संख्या-746 स्थाना 0.2620 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि अपना हिस्सा रकबा 0.131 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-अहमागऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो कि उक्त बरासतान प्राप्त हुई है, जो कि सख्तानी संख्या-00409 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रंता के नाम का अगल बरान्द हो गया है, विक्रंता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने गृहे होशो हवास में बिना किसी और जबरदस्ती या दबाव के, क्रंता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रंता उपरोक्त सम्पूर्ण मृमि के मालिक, कामिल व

रखैद लाल

3/2/21

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C-147379

6-

कमिशन है एवं वर्तमान समय में ज्ञात भूमि कृषि भूमि है, और वह कि विक्रेता यह घोषित करता है। कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बन, डेरा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही युक्त इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं

सत्यमेव जयते

21/12/21

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



है. एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 9,86,889/- (रुपया नौ लाख छियासी हजार आठ सौ नवासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त

लक्ष्मी शर्मा

३/१/५५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

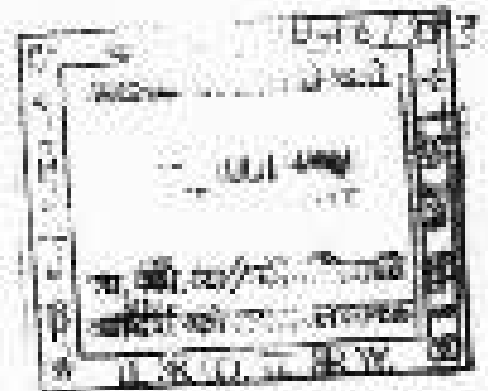
एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



8.

मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कटाई कर दिया है, एवं
 विक्तेता ने विक्रयशुद्धा मुमि का मीको पर कब्जा जेता को बरखूरी
 कटा दिया गया है। अब उक्त आराजगी पर विक्तेता तथा उराके
 वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्तेता ने विक्रयशुद्धा
 सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया
 व हमेशा के लिए जेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब जेता
 विक्रयशुद्धा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र
 स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं

गजरा

गजरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

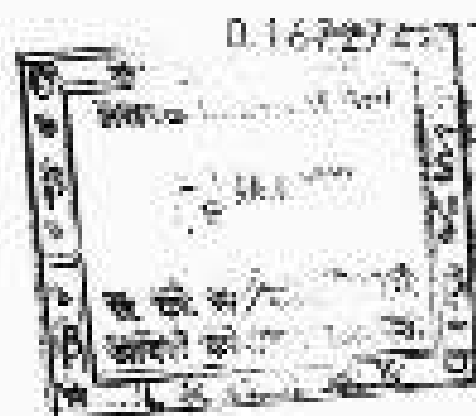
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

उपयोग व उपयोग करने। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन
बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि
विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई गण विक्रेता के स्वामित्व में जुट
के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी जुट के कारण होता या
उसके वारिसान निषादकण्य इत्यादि के कर्जे या अविवाह या
स्वत्व से निकल जाये तो होता उसके वारिसान, निषादकण्य
इत्यादि को वह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान नय
हवा व सर्वा, विक्रेता व उसके वारिसान की घल, अथवा सम्पत्ति

विशेष न्याय

3
2021

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000



ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

से जलिये अवलत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं
उसके धारिस्तान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

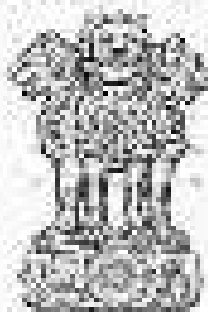
यह कि ब्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल साहित्य
राजस्व अभिलेखा में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई
आपत्ति न होगी और वह कि इस विक्रय विलेख को पूर्ण का अगर
कोई बकाया किसी तरह का भात इस सम्पत्ति पर होगा तो
उसको विक्रेता भुगतान न कउन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति
नहीं होगी।

स्थानिक

21/10/21

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 349233

- 11 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामक अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सचिवाल रेट रु० 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकमा 0.131 हेक्टेअर की मालियत रु० 2,29,250/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, ग्राम की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 98,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त मिलीत नुमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही

रजिस्ट्रार

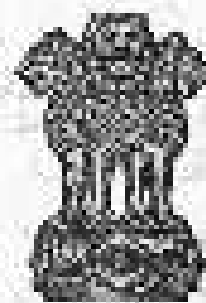
गठिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



एक सौ रुपये

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 458891

- 12 -

है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विवाद विवेक के विधान का समस्त धारा क्रेता द्वारा बहुत किया गया है।

21/21

रजिस्ट्रार जनरल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 458892

- 13 -

लिहाजा यह विज्ञापन मिलेख मिलेता ने जेता को पत्र में
लिख दिया ताकि सनद को और आवश्यकता पड़ने पर काम
आवे।

कृषि भूमि खसरा

संख्या-746 रकबा 0.2620 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि अपना
हिस्सा रकबा 0.131 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

कृषि भूमि

5/1/20

100

100



2021



12/1/2011

परिशिष्ट : मुग़तान विवरण

विजेंता को रु० 9,86,889/- (नववासी नौ लाख छियासी हजार आठ सौ नवासी मात्र) द्वारा चेक संख्या:- 935833 दिनांक 08. 10.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा - हजरतगंज, लखनऊ ब्रंदा से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु० 9,86,889/- (नववासी नौ लाख छियासी हजार आठ सौ नवासी मात्र) विजेंता ने ब्रंदा से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विजेंता स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या- 14 पर चेक संख्या पेन से लिखा है।
लखनऊ

दिनांक: 08.10.2007

गवाह

1. के.डी.एच. पंचायत की

Sanjay Kumar Singh
SDM, D.D. C. Subhan
250, Main Road
Lakhnau

एन.डी. तिलक
विजेंता

2. *Sanjay Kumar Singh*
Collector's Office

राजेश कुमार
(राजेश कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

ब्रंदा
31/10/07
महाविद्यालय
(सैयद अहमद हुसैन)
एडमोकोर

निवेदन

Year 2007

Page No.

Registration No. 11580

0101 फिरोज

पुल

पुल मालिका नं. ११५८० (११५८०)

पुल



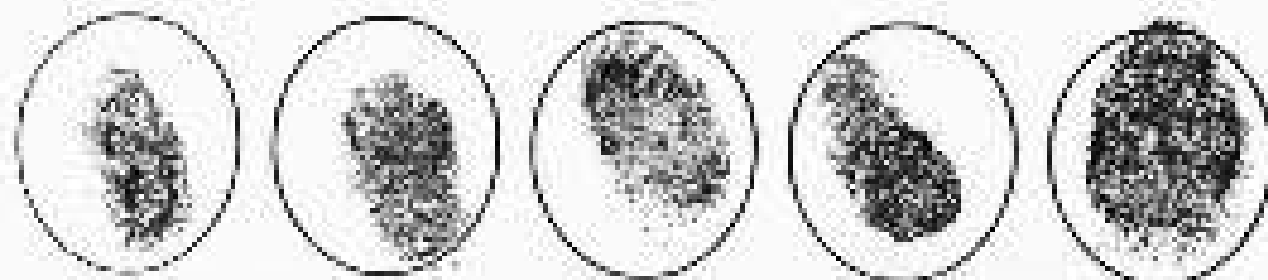
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

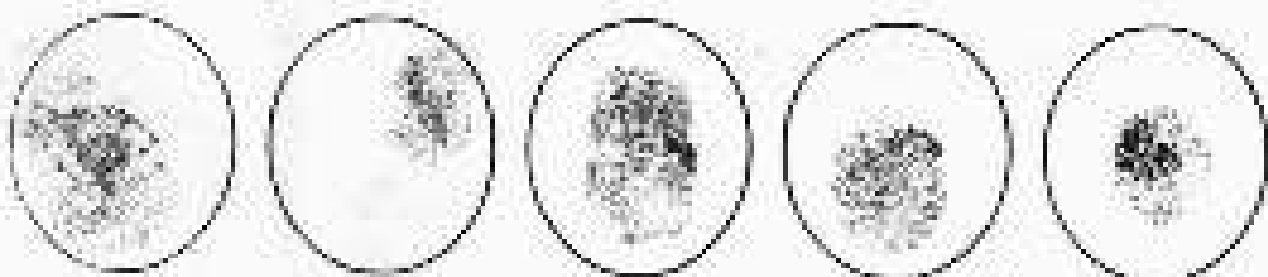
अनुसूतकर्ता / निवेता नाम व पता :- विजय कुमार क/० मु. वि. वि.

विजय कुमार मु. वि. वि.

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



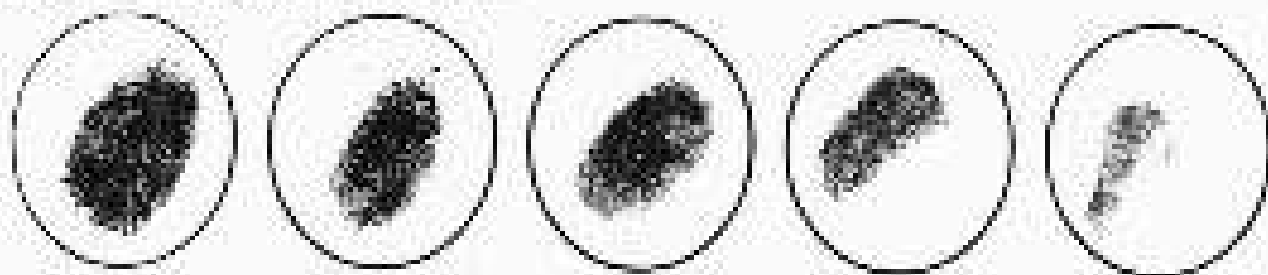
समय और जगह

अनुसूतकर्ता / निवेता / जिला के इलाका

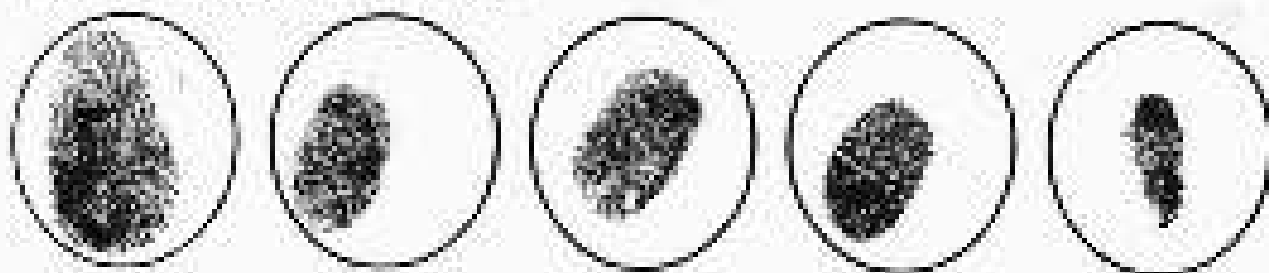
निवेता / जिला नाम व पता :- विजय कुमार क/० मु. वि. वि.

मु. वि. वि. वि. वि. मु. वि. वि.

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



21/11

निवेता / जिला के इलाका

401

Registration No. 11585

Year: 2007

Peak No.

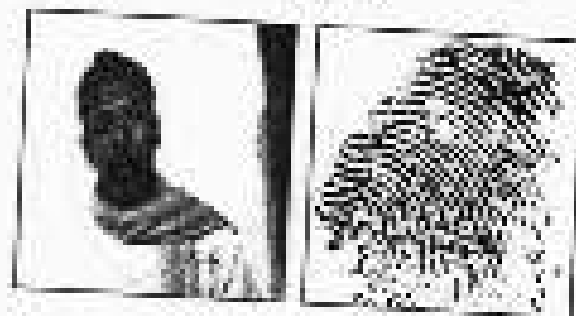
0001

100m

100m

Water South East entry

011



नक्शा नजारी

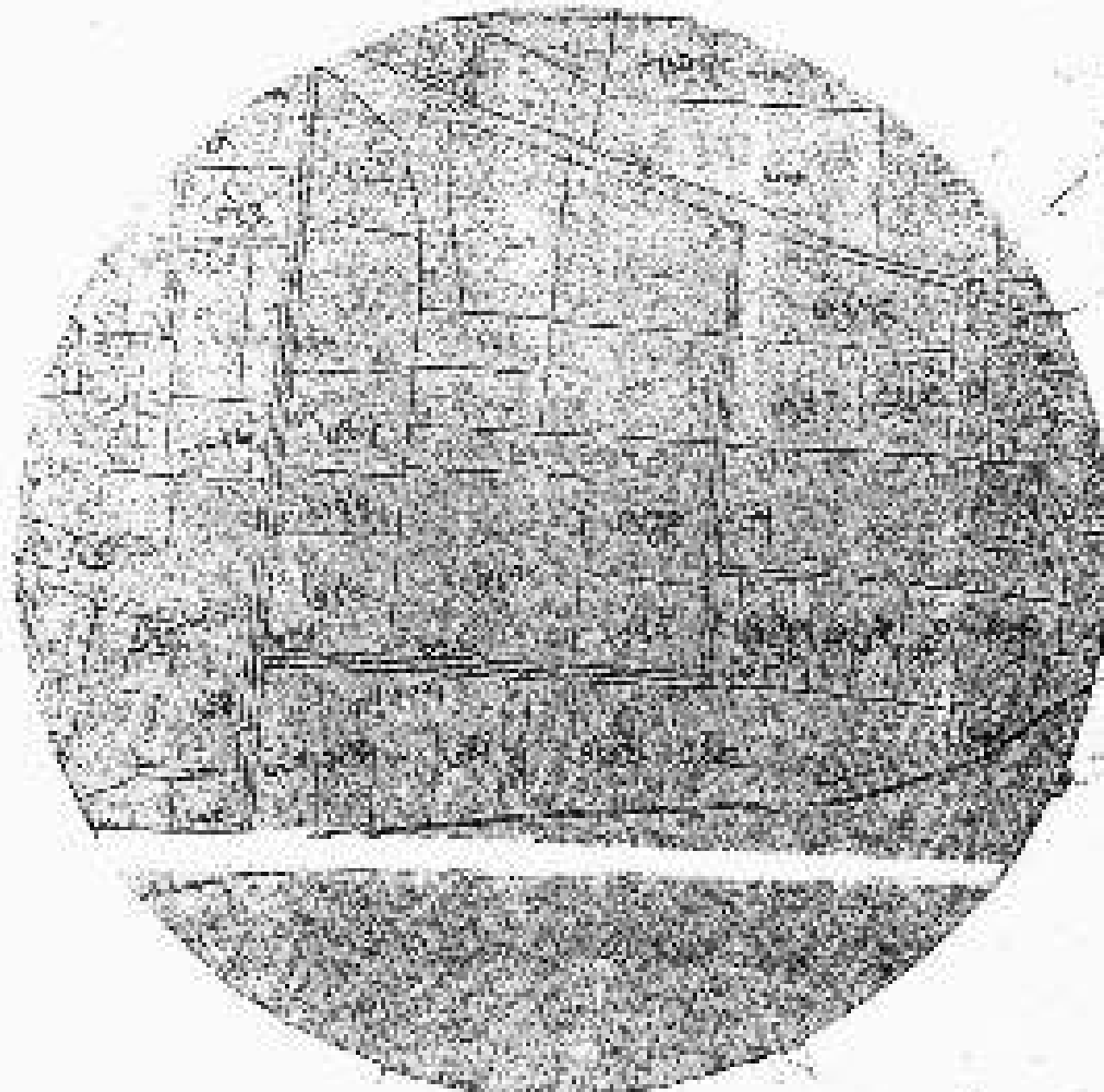
प्रग ७५६

खसत सिखा-

विकला १५५६ ३० ६५५६

गंगा ७५५६ ३० ६५५६

विकला सम्पत्ति के निकट स्थित सगरत सम्पत्तियों का विवरण



एन. ए. ए.

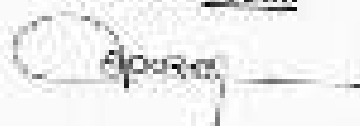
३०/१२

आज दिनांक 18/12/2007 को

पृष्ठ सं 1 शीट सं 7129

पृष्ठ सं 42 में 80 पर समंक 11586

प्रमाणित किया गया।



रघु.एस.पात

रघु निगमक (हिन्दी)

लखनऊ

18/12/2007

